भारत सरकार
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं. 86-सेक (ई)टी आर/1-1 नई दिल्ली, दि 28-6-96

स्थायी आदेश सं. 10

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब., सब भारतीय रेलें
मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आर पी एस एफ, रेलवे बोर्ड

विषय : उत्पादन इकाइयों में तैनात रे.सु.ब. कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति

यद्यपि, मेरे स्थायी आदेश सं. 2/1996 दि. 22.5.96 के अनुसार एक सुस्पष्ट और पारदर्शी स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गई है, तथापि मेरे ध्यान में लाया गया है कि उत्पादन इकाइयों जैसे आर सी एफ/कपूरथला, डीरेका/ वाराणसी/ चिरेका/ चित्तंजन, आई सी एफ/ मद्रास और डब्ल्यू ए पी (यलहंका, बंगलूर) में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को उसी इकाई में ही बारी-बारी से लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि उत्पादन इकाइयों के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त/सुरक्षा आयुक्त के पास शक्ति और प्राधिकार नहीं है कि वे कर्मचारियों को उत्पादन यूनिट के कार्य क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर सकें। इस प्रकार, जारी किए गए स्थायी आदेश के भाव का ठीक पालन नहीं किया जा रहा।

2. इस अड़चन को दूर करने के लिए, यह आदेश दिए जाते हैं कि अब से निम्नलिखित उत्पादन यूनिटों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारी अपना कार्यकाल पूरा करने पर पड़ोसी मंडलों में निम्नानुसार स्थानान्तरित किए जा सकेंगे :

	यूनिटों की संख्या	**किन मंडलों पर स्थानांतरण हो सकता है**
1.	आर सी एफ कपूरथला, उ.रे.	अम्बाला और फिरोजपुर
2.	डीरेका, वाराणसी पूर्वोत्तर रेलवे	वाराणसी और लखनऊ
3.	चिरेका चित्तरंजन पूर्व रेलवे	आसनसोल, धनबाद, दानापुर
4.	आई सी एफ, मद्रास दक्षिण रेलवे	मद्रास, तिरुचिरापल्ली
5.	उब्ल्यू ए पी यलहंका दक्षिण रेलवे	बैंगलूर, मैसूर

3. संबंधित सी एस सी को एतद्द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि उत्पादन इकाइयों में तैनात रे.सु.ब. अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानान्तरण पहले जारी उपरिलिखित स्थायी आदेश को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित करें।

4. कांस्टेबलों के सामान्य स्थानान्तरण के लिए भी, जिसके लिए डी एस सी प्राधिकृत हैं, यह सुझाव दिया जाता है कि उनके द्वारा किए गए स्थानान्तरणों से पारदर्शिता होनी चाहिए। पहले जारी दिशानिर्देशों के आधार पर स्थानान्तरणों के बारे में एक निश्चित नीति अपनाई जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया जाता है कि सी एस सी, डी एस सी से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि सब स्थानान्तरण इस विषय में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं और किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में डी सी एस से विस्तृत कारण प्राप्त किए जाएं और उनका अन्तिम अनुमोदन मुख्य सुरक्षा आयुक्तों द्वारा उनके अपने स्तर पर किया जाएगा। इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है। जो कुछ भी किया जाए उसमें पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए।

जोगिन्दर सिंह
महानिदेशक/रे.सु.ब.

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए :-

सुरक्षा आयुक्त आर पी एफ

आई सी एफ - कपूरथला, डीरेका- वाराणसी

चिरेका -चित्तरंजन, आई सी एफ - मद्रास और डब्ल्यू ए पी -यलहंका बैंगलूर